न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 52/2017 RCMS No.—2020/00029

1. श्रीमती कजोडी देवी पत्नि श्री मन्नालाल पुत्री स्व. श्री गंगाराम सैनी जाति माली, निवासी मालपुरा गेट के पास, पुलिस चौकी के पीछे, किसान कॉलोनी, सांगानेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती श्रवणी देवी पत्नि श्री मुकेश पुत्री स्व. श्री गंगाराम सैनी, जाति माली, निवासी ग्राम वाटिका, पीला माल दारू के ठेके के पीछे, जिला जयपुर।
3. श्रीमती बीना देवी पत्नि श्री सत्यनारायण पुत्री स्व. श्री गंगाराम सैनी जाति माली, निवासी तेजाजी का बाडा, सब्जी मंडी के पास, चोखी ढाणी, सांगानेर, जिला जयपुर।
4. श्रीमती ममता देवी पत्नि श्री घनश्याम पुत्री स्व. गंगाराम सैनी निवासी जैन नसिया रोड, बावडी का बास, सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र बालचन्द तथाकथित दत्तक पुत्र स्व. श्री गंगाराम सैनी, निवासी ग्राम मान्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती भूरी देवी पत्नि स्व. श्री गंगाराम सैनी, जाति माली, निवासी ग्राम मदाउ, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगनेर जिला जयपुर।
4. नारायण
5. बालचन्द
6. लालचन्द
7. बाबूलाल
8. लादूराम

   पिसरान चन्दालाल
9. पवन
10. श्रवण

    पि. स्व. फूलचन्द
11. मु0 ग्यारसी देवी पत्नि स्व0 फूलचन्द

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मान्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 12.10.1998 ग्राम मान्यावास जो नायब तहसीलदार सांगानेर अवैध तस्दीक किया गया। अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.01.2021

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 12.10.1998 जिससे नामान्तरकरण संख्या 3 वाके ग्राम मान्यावास, तहसील सांगानेर रेस्पाडेन्ट्स के नाम स्वीकार किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.02.2016 को न्यायालय जिला

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned with CamScanner

कलक्टर जयपुर में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 30.03.2017 की अनुपालना में स्थानान्तरित होकर पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं 4 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता श्री सांवर चौधरी उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या–3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 स्वयं उपस्थित आये एवं रेस्पा. संख्या 10 व 11 उपस्थित नहीं आये। जिला कलक्टर (भू.अ.) जयपुर से मूल नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। दौराने बहस वकील रेस्पा. उपस्थित नहीं आये एवं न ही उनके द्वारा अपील के संबंध में कोई जवाब पेश किया गया। पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.1998 नामान्तकरण संख्या 3 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम मान्यावास, तहसील सांगानेर स्थित आराजी खसरा नंबर 297 रकबा 0.51 है., 298 रकबा 0.04 है., 299 रकबा 0.45 है0, 300 रकबा 0.10 है., 301/443 रकबा 0.08 है0, 297/532 रकबा 0.51 कुल किता 6 कुल रकबा 1.69 हैक्टेयर का विरासत का नामान्तकरण संख्या 3 नायब तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 12.10.1998 को स्व. चन्दा के वारिसान के नाम स्वीकृत किया। स्व. चन्दालाल के जीवित वारिसान नारायण, बालचन्द, फूलचन्द, लालचन्द, बाबूलाल, लादूराम एवं मु. धापू पत्नि चन्दा थे। अपीलांट्स के पिता गंगाराम पुत्र चन्दालाल फोत हो गये थे। गंगाराम पुत्र चन्दालाल ने न तो किसी को गोद लिया था और ना ही कोई गोद पुत्र था, वे निर्वसीयत फोत हुए थे। गंगाराम पुत्र चन्दालाल के जीवित वारिसान अपीलांट्स एवं पत्नि श्रीमति भूरी देवी रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ही थे। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के पिता ने विरासत नामान्तकरण फर्जी पंचनामा, वारिस प्रमाण पत्र पार्षद के आधार पर ही गोद पुत्र मानकर 1/2 हिस्सा सोहनलाल व 1/2 हिस्सा भूरी देवी दर हिस्सा 1/8 का नामान्तकरण तस्दीक बसाज व गलत हथकण्डे अपनाकर करवा लिया। अपीलांट्स एवं अपीलांट्स की माता रेस्पा. संख्या 2 को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। रेस्पा. संख्या 1 द्वारा दिनांक 30.12.2015 को धमकी दी गयी कि इस वादग्रस्त भूमि में मेरा 1/16 हिस्सा है एवं मैं अपने हिस्से की जमीन का बेचान करूगा। तब अपीलांट्स द्वारा राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है। रेस्पा संख्या 1 के पिता ने फर्जकारी कागजात पंचनामा व पार्षद का

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned with CamScanner

वारिस प्रमाण पत्र गलत बनाया था। पंचनामा व पार्षद के प्रमाण पत्र के आधार पर गोद पुत्र साबित नहीं होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार अपीलांट्स स्व. गंगाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान है। अपीलाधीन नामान्तकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार तस्दीक नहीं किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय में अपील संख्या 13/2014 उनवानी कजोडी बनाम ग्राम पंचायत मदाउ में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2016 में रेस्पा. संख्या 1 को गोद पुत्र नहीं मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 23 खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक नियमों के विरूद्व अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वार निर्णित नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 12.10.1998 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलांट्स एवं रेस्पाडेन्ट्स संख्या 2 भूरी देवी के नाम उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि का नामान्करण तस्दीक करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 3 द्वारा पार्षद रिपोर्ट एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन आदेश न्यायोचित होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण वकील अपीलांट एवं पैरोकार की बहस सुनी गई। नामान्तरकरण संख्या 03 ग्राम मान्यावास, तहसील सांगानेर के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण स्व. चन्दालाल पुत्र देवा के फौत होने पर मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वार्ड पार्षद द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार विरासत के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा स्व. चन्दा के वारिसान के पक्ष में भरा जाकर प्रस्तुत होने पर पेश किया गया जिसे तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 12.10.1998 को तस्दीक किया गया। विद्वान अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण गलत वारिस प्रमाण पत्र एवं हिन्दु उत्तराधिकार नियमों के विपरीत जाकर तस्दीक किया गया है। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अपीलांट्स के पिता स्व. गंगाराम का अपने पिता स्व. चन्दा की भूमि में हिस्सा 1/8 है। अपीलाधीन नामान्तकरण में स्व. गंगाराम के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के नाम तस्दीक किया गया है। रेस्पा0 संख्या 1 स्व. गंगाराम सैनी का दत्तक पुत्र होने के संबंध में वार्ड पार्षद की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण रेस्पा0 संख्या 1 के हक में गंगाराम की विरासत गंगाराम की विरासत की भूमि का हिस्सा 1/2 तस्दीक किया गया एवं अपीलांट्स स्व. गंगाराम की जायन्दा पुत्रियां है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned with CamScanner

अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान है जिसके विपरीत विरासत के नामान्तकरण में अपीलांट्स का अपने पिता के हिस्से की भूमि में नाम छोड दिया गया जो विधिक प्रावधानो एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के विपरीत है। अपीलांट्स हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत स्व. गंगाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान है और अपीलाधीन नामान्तकरण में स्व. गंगाराम की विधिक एवं जायन्दा पुत्रियों (अपीलांट्स) का नाम छोडकर रेस्पा0 संख्या 1 सोहनलाल का नाम दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनन भूल की है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, सांगानेर का आदेश दिनांक 12.10.1998 बाबत नामान्तरकरण संख्या 03 ग्राम मान्यावास, तहसील सांगानेर में स्व. गंगाराम की विरासत की भूमि के हिस्से की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, सांगानेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड **(Remand)** किया जाता है कि संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर बाद जांच व्याप्त कानूनी प्रकिया तथा व्याप्त कानूनी प्रावधान अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

Scanned with CamScanner